

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1175/2024

अनवान : -

1- मन्जू देवी पत्नी बीरबलदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम

- 1- सुच्चा सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 2- जोगेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 3- जीत पुत्र सुन्दर सिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4- छिन्द्रपाल पुत्री अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 5- बलजीत कौर पत्नी राजसिंह पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 6- जगजीत पुत्र राजसिंह पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 7- मेजरसिंह पुत्र राजसिंह पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 8- गुरमीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह उर्फ गौरा पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 9- कोमल पुत्री गुरमेल सिंह उर्फ गौरा पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 10- रमन पुत्री गुरमेल सिंह उर्फ गौरा पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 11- स्वर्ण कौर पत्नी जग्गा सिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 12- चेताराम पुत्र शिशपाल जाति सुथार निवासी कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 13- चन्द्रपाल पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14- मखनसिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 15- मैना देवी पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 16- माली देवी पत्नी गोरूदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 17- मीरा पुत्री महावीर सिंह जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 18- लालदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 19- विमला देवी पत्नी लालदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 20- सोनुसिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 21- हीराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 22- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण


दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 08/06/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 198/298 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 15.4410 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दस्तावेज स्व रिकार्ड है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



जमाबंदी में दर्ज खातेदार अमरा पुत्र सुन्दरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है जिनको दावा में पक्षकार बनाया गया है तथा जमाबंदी में दर्ज खातेदार काशतकार हाकम पुत्र सुन्दरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान का नाम पहले से जमाबंदी में दर्ज है। वादीया व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादीया व प्रतिवादीगण में खाता, सींव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादीया मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहती है। वादीया ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि को काफी मेहनत करके व धन खर्च करके उपजाऊ व समतल बनाया हुआ है तथा अपने हक हिस्सा की भूमि को काशत करता चला आ रहा है इसलिए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार कमी बेसी साथ वाली चिपती हुई भूमि में से की जाकर न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग तकसीम करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 198/298 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 15.4410 है 0 का पक्षकारान के हक हिस्सा व कब्जा काशत के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 22 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काशत के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादीया प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 198/298 के कुल


अपजुड अधिकारी
नोहर

खसरे 3 की कुल तादादी 15.4410 है0 भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 मंजू देवी पत्नी बलराम हिस्सा 763/4567 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, मालीदेवी पत्नी गोरुदास हिस्सा 763/4567 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, विमला देवी पत्नी लालदास हिस्सा 763/4567 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, लालदास पुत्र बुधरदास हि0 1142/4567 जाति स्वामी सा देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा न्योलखी (9 केकेएम), हीराराम पुत्र हुकमाराम हि0 1136/4567 जाति जाट सा0 नगराना संगरिया खातेदार — ग्राम थिराना ख0न0 596 की 4.1480 हैक्ट, ख0न0 207 में से 0.419 हैक्ट कुल 4.567 हैक्ट
- 2 अमरा पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, जीत पुत्र सुन्दरसिंह हिस्सा 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, जोगेन्द्र पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, सुच्चा सिंह पुत्र जग्गासिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, हाकम पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, — ग्राम थिराना ख0न0 324 में से 6.325 हैक्ट कुल 6.325 हैक्ट
- 3 चेताराम पुत्र शिशपाल हि0 2277/4549 जाति सुथार सा0 भगवानसर खातेदार राहिन पूर्ण खाता राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा बीरकाली, चन्द्रपाल पुत्र भादरराम हि0 1705/4549 जाति सुथार सा0 अमरपुराजालुतहसंगरिया खातेदार, मखनसिंह पुत्र महावीरसिंह हिस्सा 844/45490 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, मैनादेवी पत्नी महावीरसिंह हि0 2412/45490 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, मीरा पुत्री महावीरसिंह हि0 157/4549 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, सोनू सिंह पुत्र महावीर सिंह हि0 844/45490 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार— ग्राम थिराना ख0न0 324 में से 0.441 हैक्ट, ख0न0 207 में से 4.108 हैक्ट कुल 4.549 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 1175/2024

अनवान : -

1- मन्जू देवी पत्नी बीरबलदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।

— वादीया

बनाम

- 1- सुच्चा सिंह पुत्र जग्गा सिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 2- जोगेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 3- जीत पुत्र सुन्दर सिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4- छिन्द्रपाल पुत्री अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 5- बलजीत कौर पत्नी राजसिंह पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 6- जगजीत पुत्र राजसिंह पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 7- मेजरसिंह पुत्र राजसिंह पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 8- गुरमीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह उर्फ गौरा पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 9- कोमल पुत्री गुरमेल सिंह उर्फ गौरा पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 10- रमन पुत्री गुरमेल सिंह उर्फ गौरा पुत्र अमरा पुत्र सुन्दरसिंह जाति बाजीगर निवासी इन्द्र नगर वार्ड नं. 07 मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
- 11- स्वर्ण कौर पत्नी जग्गा सिंह जाति बाजीगर निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 12- चेताराम पुत्र शिशपाल जाति सुथार निवासी कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 13- चन्द्रपाल पुत्र भादरराम जाति सुथार निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 14- मखनसिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 15- मैना देवी पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 16- माली देवी पत्नी गोरुदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 17- मीरा पुत्री महावीर सिंह जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 18- लालदास पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 19- विमला देवी पत्नी लालदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 20- सोनुसिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी थिराना तहसील नोहर।
- 21- हीराराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 22- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1175 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 198/298 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 15.4410 है० भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 मंजू देवी पत्नी बलराम हिस्सा 763/4567 जाति स्वामी सा० देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, मालीदेवी पत्नी गोरुदास हिस्सा


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

763/4567 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, विमला देवी पत्नी लालदास हिस्सा 763/4567 जाति स्वामी सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर, लालदास पुत्र बुधरदास हि0 1142/4567 जाति स्वामी सा देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा न्योलखी (9 केकेएम), हीराराम पुत्र हुकमाराम हि0 1136/4567 जाति जाट सा0 नगराना संगरिया खातेदार - ग्राम थिराना ख0न0 596 की 4.1480 हैक्ट, ख0न0 207 में से 0.419 हैक्ट कुल 4.567 हैक्ट

- 2 अमरा पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, जीत पुत्र सुन्दरसिंह हिस्सा 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, जोगेन्द्र पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, सुच्चा सिंह पुत्र जग्गासिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, हाकम पुत्र सुन्दरसिंह हि0 1/5 जाति बाजीगर सा0 सुरेवाला खातेदार, - ग्राम थिराना ख0न0 324 में से 6.325 हैक्ट कुल 6.325 हैक्ट
- 3 चेताराम पुत्र शिशपाल हि0 2277/4549 जाति सुथार सा0 भगवानसर खातेदार राहिन पूर्ण खाता राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक शाखा बीरकाली, चन्द्रपाल पुत्र भादरराम हि0 1705/4549 जाति सुथार सा0 अमरपुराजालुतहसंगरिया खातेदार, मखनसिंह पुत्र महावीरसिंह हिस्सा 844/45490 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, मैनादेवी पत्नी महावीरसिंह हि0 2412/45490 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, मीरा पुत्री महावीरसिंह हि0 157/4549 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, सोनू सिंह पुत्र महावीर सिंह हि0 844/45490 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार- ग्राम थिराना ख0न0 324 में से 0.441 हैक्ट, ख0न0 207 में से 4.108 हैक्ट कुल 4.549 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 06/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर